<u>न्यायालयः- विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 139/2021

(सी.आई.एस.नं.-139/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

चेतन उर्फ चेतराम पुत्र रमेशचन्द, उम्र 32 वर्ष, निवासी कोटड़ा दयाल, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) **– अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.सं. एवं
धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज.राज्य की ओर से।

2- श्री अविनाश गुप्ता व श्री राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

3- श्री जावेद हुसैन, अधिवक्ता, पीड़िता/परिवादिया की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 29.05.2026**

नोटः- प्रकरण महिला अत्याचार से संबंधित होने के कारण परिवादिया के नाम की गोपनीयता बनाये रखने हेतु परिवादिया के नाम के स्थान पर पीड़िता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 10.06.2019 को परिवादिया/पीड़िता द्वारा न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा में प्रस्तुतशुदा परिवाद (प्रदर्श पी.-1) दिनांक 16.08.2019 को पुलिस थाना अकलेरा जरिये डाक इस आशय के तथ्यों का प्राप्त हुआ कि दिनांक 06.06.2029 बरोज गुरूवार समय रात करीब 11.00 बजे परिवादिया/पीड़िता अपने घर ग्राम कोटड़ा दयाल में कमरे में सो रही थी, तो मुलजिम ने परिवादिया के मकान की कुन्दी बजाई, तो परिवादिया कुन्दी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलकर बाहर आई। मुलजिम चेतन पुत्र रमेशचन्द, निवासी कोटड़ा दयाल द्वारा परिवादिया को जबरदस्ती अपनी ओर हाथ पकड़, खींचकर बांहों में जकड़ लिया और परिवादिया के दोनों स्तनों को पकड़कर जोर-जोर से दबाने लगा। परिवादिया चिल्लाने लगी, तो मुलजिम ने रूमाल से परिवादिया का मुंह बन्द कर दिया। परिवादिया के

चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवादिया का पति राजेश जाग गया व दरवाजे के पास आने लगा तो चेतन बैरागी परिवादिया को छोड़कर वहां से भाग गया। परिवादिया ने सारी बात अपने पति को बतायी। फिर घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना अकलेरा पर करवाने गयी तो थाना वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। फिर दिनांक 07.06.2019 शुक्रवार को दिन के समय परिवादिया खेत पर जाते समय रास्ते में चेतन बैरागी मिला और परिवादिया का रास्ता रोक लिया। परिवादिया को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि चमारी तुने मेरी थाने में रिपोर्ट क्यों करवाई और किसी दिन तुम खंगारन को जाने से मारे मानूंगा, इज्जत लूंगा। वह से अपनी जान बचाकर भागकर घर आयी। सारा वाका अपने परिवार जन को बताया। इस वाका की भी रिपोर्ट करने थाना पर गये, कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिये आज इस्तगासा पेश करने आयी है, इत्यादि।

2- उक्त तथ्यों के आशय के परिवाद पत्र के आधार पर पुलिस थाना अकलेरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.-336/2019, अन्तर्गत धारा 354 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 456, 354 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 12.10.2021 को आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 23.02.2022 को अभियुक्त चेतन उर्फ चेतराम को धारा 456, 354 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./ एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप को सुन-समझकर, अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 पीड़िता/परिवादिया स्वयं, पी.ड.-2 राजेश, पी.ड.-3 रूपचन्द, पी.ड.-4 जगदीश, पी.ड.-5 मोनू, पी.ड.-6 राजेन्द्र सिंह व पी.ड.-7 जसवीर के बयान लेखबद्ध करवाये गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में परिवाद पत्र प्रदर्श पी.-1, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-2, परिवादिया का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-3, पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.-4, मुलजिम का नोटिस धारा 41 प्रदर्श पी.-5, चैक लिस्ट प्रदर्श पी.-6 व चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-7 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया।

5- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुये स्वयं का निर्दोष होना बताया तथा सफाई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य-सफाई बन्द की गई। हालांकि साक्ष्य अभियोजन के दौरान पुलिस बयान रूपचन्द प्रदर्श डी.-1 व पुलिस बयान जगदीश प्रदर्श डी.-2 को प्रस्तुत कर प्रदर्शांकित करवाया गया।

6- उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7- दौराने बहस विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का यही तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किए जाने की प्रार्थना की है।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया है कि फरियादिया/पीड़िता द्वारा दिये गये परिवाद पत्र व धारा 161 दं.प्र.सं. एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। गवाह पी.ड.-2 राजेश परिवादिया के पति ने स्वयं द्वारा उसकी पत्नी के साथ हुई घटना अपनी आंखों से देखने से इन्कार किया है तथा घटना की रिपोर्ट घटना के दिन या एक-दो दिन बाद तक थाने पर लिखाने से इन्कार किया है। गवाह पी.ड.-3 रूपचन्द व पी.ड.-4 जगदीश परिवादिया के जेठ है, जो हितबद्ध साक्षीगण है, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। गवाह पी.ड.-7 जसवीर अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है तथा स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आस-पास रहने वाले किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

9- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ है:-

क्या दिनांक 06.06.2019 को रात के करीब 11.00 बजे या इसके लगभग मौजा कोटड़ा दयाल स्थित परिवादिया /पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसके

रिहायशी मकान में अवैध रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया तथा परिवादिया/पीड़िता की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़, खींचकर अपनी बांहों से पकड़कर व उसके दोनों स्तन दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा परिवादिया/पीड़िता के जाति से खंगार होकर अनुसूचित जाति की सदस्या होना जानते हुए, उसे जनता के लिये दृष्टिगोचर सार्वजनिक स्थान पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित एवं प्रकोपित किया तथा परिवादिया/पीड़िता के साथ उक्त अपराध कारित किये ?

10- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहान को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.-1 परिवादिया/पीड़िता स्वयं है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3 साल पहले दिनांक 06.06.19 की रात 11.00 बजे की बात है। वह उसके घर के अन्दर सो रही थी। चेतन ने कुण्डी बजायी तो उसने आकर गेट खोला तो उसने उसे हाथ पकडकर खींच लिया। फिर खींचातानी करने लगा, उसने आवाज करने की कोशिश की तो उसने उसके मूंह में रूमाल ठूंस दिया। उसकी आवाज सुनकर उसके पति उठे तो मुलजिम उसके पति को धक्का देकर भाग गया। दूसरे दिन शुक्रवार को वह कुंए पर जा रही थी तो उसे कहने लगा कि भेन की लवडी, चमारडी तुने अगर उसके खिलाफ रिपोर्ट करी तो वह सबको मार देगा और उसे भी मार देगा। फिर वे घटना की रिपोर्ट करने अकलेरा थाने में गये, लेकिन सुनवाई नहीं हुयी तो उन्होंने एस.पी. साहब को परिवाद दिया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी तो उन्होंने न्यायालय अकलेरा में परिवाद पेश किया। एस.पी. साहब को पेश परिवाद की प्रति शामिल पत्रावली है। न्यायालय अकलेरा में पेश परिवाद प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर उसका फोटो चस्पा है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका जाति प्रमाण पत्र लिया, जो प्रदर्श पी.-3 है। पुलिस ने उसके न्यायालय में बयान करवाये थे। बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-1 पर उसने वकील साहब के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, इसमें क्या लिखा है, उसे पढकर नहीं सुनाया था। आगे कथन किया है कि चेतन से पहले भी मेड को लेकर

लडाई हुई होगी। आगे स्वीकार किया है कि बाद में कुल्हाडी लेकर उनसे लडाई-झगडा करने आया था। आगे स्वीकार किया है कि उसके मकान के पास में गोवर्धन खंगार, प्रेमनारायण खंगार के मकान है व उसका मकान पीछे ही पीछे स्थित है तथा उसके आसपास मकानात बने हुए है, लेकिन उनमें कोई नहीं रहता। आगे स्वीकार किया है कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। फिर कथन किया कि वे थाने में गये थे, लेकिन वहां पर रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। आगे कथन किया है कि घटना के समय उसके पति बाहर पट्टी पर सो रहे थे और उसके पति बरामदे के बाहर दो पट्टी लगी हुई है, जिस पर सो रहे थे। आगे स्वीकार किया है कि उसके पति वे दोनों की बातचीत की आवाज सुनकर घर के अन्दर आये थे। आगे स्वीकार किया है कि बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी.-4 में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाली बात नहीं लिखी हुयी है। फिर कथन किया कि उसने तो लिखायी थी, इसमें क्यों नहीं लिखा उसे पता नहीं। आगे कथन किया है कि खींचातानी में उसका ब्लाउज फट गया था। इस सुझाव को गलत होना बताया है कि ब्लाउज उसने पुलिस को जब्त नहीं करवाया हो। पुलिस ने उसका ब्लाउज क्यों जब्त नहीं किया उसे पता नहीं। आगे स्वीकार किया है कि उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के मकान से कोई भी नहीं आया था। आगे स्वीकार किया है कि शराब के नशे में चेतराम उसके घर में घुस गया था तथा चेतराम शराब के इतने नशे में था कि उसे होश ही नहीं था कि वह किसके घर में घुस गया है। आगे स्वीकार किया है कि वह शराब के नशे में घर का दरवाजा खुलाने के लिए ही उसने कूंडी खटखटायी थी तथा उसको यह भी पता नहीं था कि किसका घर है। आगे स्वीकार किया है कि दरवाजा खोलते ही चेतराम शराब के नशे में उसके उपर गिर गया था। आगे स्वीकार किया है कि चेतराम का घर उसके मकान के पास ही है।

11- गवाह पी.ड.-2 राजेश परिवादिया/पीड़िता का पति है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.06.19 गुरूवार की रात को 11.00 बजे की बात है। वह उसके घर पर ही सो रहा था। बाहर से चिल्लाचोट की आवाज आयी तो उसकी नींद खुली तो वह उठकर बाहर गया तो चेतन उसे धक्का देकर भाग गया। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि "चेतन ने गेट खटखटाया तो उसने गेट खोला तो चेतन ने उसका हाथ पकड लिया और उसके साथ छेडछाड की और आमक-झुमा हो गया, फिर चेतन ने एक रूमाल लेकर उसके मूंह में ठूंस दिया था। "उसके बाद दूसरे दिन उसकी पत्नी खेत पर गयी, तब रास्ते में रोककर चेतन ने उससे कहा कि तुम रिपोर्ट करने मत जाना नहीं तो सबको मार दूंगा। फिर वे घटना की

रिपोर्ट करने गये थे। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जब घटना हुई, तब वह घर के बाहर सो रहा था तथा उसने अपनी पत्नी के साथ कोई घटना होते हुए नहीं देखी थी। आगे स्वीकार किया है कि उसके मकान के आसपास मकानात बने हुए है, जहां लोग रहते है, आम रास्ता भी उसके मकान के सामने ही है। आगे स्वीकार किया है कि घटना के दिन या उसके एक-दो दिन बाद तक वे घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पर नहीं गये थे।

12- गवाह पी.ड.-3 रूपचन्द परिवादिया/पीड़िता का जेठ है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3-4 साल पहले रात के 10.00 बजे की घटना है। चेतन उसके भाई राजेश के घर में घुसा और चेतन राजेश की पत्नी के साथ झामक-झूमक कर रहा था। राजेश की पत्नी ने चिल्ला चोट की तो वह भी वहां दोड कर गया तो उसने चेतन से राजेश की पत्नी को छुडवाया तथा चेतन उसे धक्का देकर भाग गया। फिर उसने उसके भाई को बुलाया और वे चेतन के पीछे-पीछे गये तो चेतन उसके घर में घुस गया। फिर वह और उसका भाई अकलेरा थाने में गये और वहां जाकर रिपार्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने उनके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके भाई के मकान के आसपास अन्य लोगों के घर भी है तथा चिल्ला चोट से गांव के लोग जमा हो गये थे। आगे कथन किया है कि रात वाली घटना होने के दो-तीन दिन बाद खेत वाली घटना हुई थी। आगे स्वीकार किया है कि रात वाली घटना की रिपोर्ट लिखाने वे थाने नहीं गये तथा खेत वाली घटना होने के बाद भी वे रिपोर्ट लिखाने नहीं गये थे। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.-1 में ए से बी भाग मेरे भाई ..... छोडकर भाग गया सही लिखी हुयी है। आगे स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पहुंचे जब हेमलता व चेतन घर के बाहर खडे मिले थे। आगे स्वीकार किया है कि जब वह ओर राजेश मोके पर पहुंचे तो हेमलता ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत चेतन ने की हो नहीं बताया था। आगे स्वीकार किया है कि उसका भाई जगदीश घटनास्थल पर उसके आवाज देने के बाद आया था तथा वक्त घटना उसका भाई राजेश घर पर नहीं था, कुंऐ पर था वह घटना के 10 मिनट बाद बुलाने पर आया था। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.-1 चिल्लाने की आवाज सुनकर वह व उसका भाई राजेश घर से निकलने वाली बात गलत लिखी हुयी है तथा राजेश घर पर नहीं सो रहा था। आगे स्वीकार किया है कि राजेश ने चेतन को भागते हुऐ भी नहीं देखा तथा उसका भाई जगदीश उसके मौके पर पहुंचने के बाद उसके आवाज देने पर मौके

पर पहुंचा था। आगे स्वीकार किया है कि जब उसका भाई जगदीश घटनास्थल पर पहुंचा तो वह व हेमलता व गांव के लोग ही मोजूद थे।

13- गवाह पी.ड.-4 जगदीश भी परिवादिया/पीड़िता का जेठ है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 3-4 साल पहले रात के 10.00 बजे की घटना है। चेतन उसके भाई राजेश के घर में घुसा और चेतन राजेश की पत्नी के साथ झामक-झूमक कर रहा था। राजेश की पत्नी ने चिल्ला चोट की तो वह भी वहां दोड कर गया तो चेतन उसे छुडाकर भाग गया व उसका शर्ट उसके पास रह गया। फिर वे चेतन के पीछे-पीछे गये तो चेतन उसके घर में घुस गया। फिर वह, रूपचंद और उसका भाई राजेश अकलेरा थाने में गये और वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने उनके बयान लिये थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि रात वाली घटना के बारे में उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया तथा खेत वाली घटना उसके सामने नहीं हुई। उसका व हेमलता का घर आसपास ही है। आगे स्वीकार किया है कि पुलिस ने शर्ट की कोई फर्द जब्ती नहीं बनायी, ना ही उसके हस्ताक्षर करवाये।

14- गवाह पी.ड.-5 मोनू व पी.ड.-6 राजेन्द्र सिंह नक्शा मौका के साक्षीगण है, जिन्होंने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5-6 साल पहले पुलिस ने उनके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर क्रमशः सी से डी व ई से एफ उनके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में उक्त दोनों गवाहान ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-2 में क्या लिखा था, पुलिस ने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया था।

15- गवाह पी.ड.-7 जसवीर अनुसंधान अधिकारी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.08.2019 को वृताधिकारी, वृत्त अकलेरा के पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना अकलेरा के प्रकरण सं.-336/2019, अपराध अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट की पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। पूर्व आई.ओ. बालसिंह, ए.एस.आई. द्वारा लिये गये बयानों की ताईद की गयी थी। फरियादी श्रीमती हेमलता बाई, गवाहान राजेश, रूपचन्द, जगदीश के बयान लिये गये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-2 है, जिसकी उसके द्वारा ताईद की गयी थी। फरियादी का जाति प्रमाण पत्र लिया गया, जो प्रदर्श पी.-3 है। उसके द्वारा दिनांक 07.09.2019 को नोटिस धारा 41 का दिया गया, जो प्रदर्श पी.-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चैक लिस्ट

प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। उससे पूर्व प्रकरण का अनुसंधान बालसिंह, ए.एस.आई. द्वारा किया गया था, साथ काम करने की वजह से व अनुसंधान पत्रावली उनके बाद उसे प्राप्त होने से वह उनके हस्ताक्षर को पहचानता है। मौका नक्शा प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर जी से एच दो जगह बालसिंह के हस्ताक्षर है। सभी बयान धारा 161 पर भी उनके हस्ताक्षर है, जिन्हें वह पहचानता है। एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी अब्दुल रशीद के हस्ताक्षर है, जिन्हें वह पहचानता है। चार्जशीट कर्ता राजेश कुमार द्वारा आरोप पेश किया, जिनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व अनुसंधान से मुलजिम चेतन उर्फ चेतराम थाना अकलेरा पर अपराध धारा 456, 354 भा.दं.सं. व धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट में प्रमाणित किया गया। उक्त पत्रावली पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से आदेश प्राप्त कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा इस पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। बाद में पीड़िता अनुसूचित जाति की होने के नाते पुनः अनुसंधान उसे मिला था। आगे स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया था।

16- अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादिया पी.ड.-1 के बयानों का अवलोकन किया जाये, तो परिवादिया द्वारा न्यायालय में पेश किये गये परिवाद प्रदर्श पी.-1 की ताईद करते हुए कहती है कि घटना की रात्रि यह घर के अन्दर सो रही थी। अभियुक्त ने कुण्डी बजायी, तो उसने आकर गेट खोला, तो अभियुक्त ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया और खींचातानी करने लगा और मूंह में रूमाल ठूंस दिया। इसकी आवाज सुनकर इसका पति उठा तो इसके पति को धक्का देकर अभियुक्त भाग गया तथा दूसरे दिन जब यह कुंए पर जा रही थी, तो इसे जाति सूचक शब्द चमारडी से संबोधित कर कहा कि अगर रिपोर्ट करी तो सब को मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। फिर यह रिपोर्ट करने अकलेरा थाने गयी। एस.पी. साहब को परिवाद भी दिया और फिर न्यायालय में परिवाद पेश किया। प्रतिपरीक्षा में यह कहती है कि अभियुक्त चेतन से पहले भी मेड़ को लेकर लड़ाई हुई होगी तथा यह भी स्वीकार करती है कि बाद में कुल्हाड़ी लेकर वह इनसे झगड़ा करने आया था तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट करती है कि घटना के समय इसका पति बरामदे के बाहर लगी पट्टी पर सो रहा था व इसका पति इन दोनों की बातचीत की आवाज सुनकर घर के अन्दर आया था। यद्यपि इस सुझाव को गलत ठहराती है कि इसके पति ने इसे अभियुक्त चेतराम के साथ देखा हो,

इसलिये इसका पति जोर से चिल्लाया हो तथा स्वीकार करती है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी.-4 में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाली बात नहीं लिखी हुई है।

17- गवाह पी.ड.-2 राजेश परिवादिया का पति है, जो अपने बयानों में कहता है कि यह घर पर ही सो रहा था और बाहर से चिल्लाचोट की आवाज आयी तो इसकी नींद खुली तो यह उठकर बाहर गया तो अभियुक्त चेतन इसे धक्का देकर भाग गया और इसकी पत्नी ने इसे बताया कि अभियुक्त ने गेट खटखटाया और जब इसने गेट खोला तो अभियुक्त ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसके साथ छेड़छाड़ की और आमक-झुमा हो गया और मूंह में रूमाल ठूंस दिया तथा दूसरे दिन जब इसकी पत्नी खेत पर गयी, तब भी अभियुक्त ने उससे कहा कि रिपोर्ट करने मत जाना, नहीं तो सबको मार दूंगा। प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि घटना के समय यह घर के बाहर सो रहा था तथा इसकी पत्नी के साथ कोई घटना होते हुए नहीं देखी। इस प्रकार परिवादिया का पति मुख्य परीक्षा में कहता है कि यह घर पर सो रहा था और बाहर से चिल्लाने की आवाज आयी। वहीं प्रतिपरीक्षा में कहता है कि यह घर के बाहर सो रहा था। गवाह पी.ड.-3 रूपचन्द परिवादिया के पति का भाई है, जो अपने बयानों में कहता है कि अभियुक्त चेतन इसके भाई राजेश के घर में घुसा और राजेश की पत्नी के साथ झामक-झूमक कर रहा था, तो राजेश की पत्नी के चिल्लाने पर यह दौड़कर गया और अभियुक्त से राजेश की पत्नी को छुडवाया तो अभियुक्त चेतन इसे धक्का देकर भाग गया। फिर यह और इसका भाई अकलेरा थाने गये और रिपोर्ट दर्ज करवायी तथा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार करता है कि घटनास्थल पर जब यह पहुंचा, तब परिवादिया व अभियुक्त घर के बाहर खड़े मिले और परिवादिया ने उसके साथ अभियुक्त द्वारा कोई अश्लील हरकत करने की बात नहीं बतायी तथा उक्त गवाह परिवादिया के पति के बयानों के विपरीत यह स्वीकार करता है कि वक्त घटना इसका भाई राजेश अर्थात् परिवादिया का पति घर पर नहीं था, कुंए पर था और वह घटना के 10 मिनिट बाद बुलाने पर आया था तथा पुनः स्वीकार करता है कि राजेश घर पर नहीं सो रहा था तथा राजेश ने अभियुक्त चेतन को भागते हुए भी नहीं देखा। गवाह पी.ड.-4 जगदीश भी परिवादिया के पति का ही भाई है, जो भी अपने बयानों में कहता है कि अभियुक्त चेतन इसकी भाई राजेश के घर में घुसा और राजेश की पत्नी के साथ झामक-झूमक कर रहा था और राजेश की पत्नी के चिल्लाने पर यह दौड़कर वहां गया, तो अभियुक्त चेतन इसे छुड़ाकर भाग गया

और अभियुक्त का शर्ट इसके पास रह गया और यह चेतन के पीछे-पीछे उसके घर में घुस गया और यह, रूपचन्द व राजेश अकलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये।

18- इस प्रकार अभियोजन की ओर से आवाज सुनकर मौके पर पहुंचने वाले गवाहान के रूप में पी.ड.-2 राजेश, पी.ड.-3 रूपचन्द व पी.ड.-4 जगदीश को परीक्षित करवाया है, जो तीनों ही गवाहान सगे भाई हैं तथा आस-पास ही रहते है। जहां परिवादिया पी.ड.-1 व परिवादिया का पति पी.ड.-2 राजेश कहते हैं कि घटना के समय राजेश घर के बाहर सो रहा था तथा आवाज सुनने पर मौके पर आया और पी.ड.-2 राजेश ने स्पष्ट कथन किया है कि चेतन इसे धक्का देकर भाग गया। वहीं पी.ड.-3 रूपचन्द व पी.ड.-4 जगदीश भी अपने बयानों में यह कथन करते हैं कि परिवादिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर यह दोनों मौके पर पहुंचे और अभियुक्त चेतन से परिवादिया को छुड़वाया तो अभियुक्त चेतन इन्हें धक्का देकर भाग गया। पी.ड.-4 जगदीश तो यहां तक कथन करता है कि अभियुक्त चेतन छुड़ाकर भाग गया व अभियुक्त का शर्ट इसके पास रह गया तथा पी.ड.-3 रूपचन्द ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि वक्त घटना इसका भाई राजेश घर पर नहीं था, कुंए पर था तथा घटना के 10 मिनिट बाद बुलाने पर आया था। साथ ही रूपचन्द ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मौके पर परिवादिया ने उसके साथ कोई अश्लील हरकत अभियुक्त चेतन ने की हो, नहीं बताया तथा जब यह मौके पर पहुंचा तो परिवादिया व अभियुक्त चेतन बाहर खड़े हुए मिले थे। इस प्रकार गवाह पी.ड.-1 परिवादिया ने तथा उसके पति पी.ड.-2 राजेश ने भिन्न प्रकार से घटना का वर्णन किया है तथा पी.ड.-2 राजेश की मौजूदगी घटनास्थल पर बतायी है, वहीं परिवादिया के पति के भाई पी.ड.-3 रूपचन्द व पी.ड.-4 जगदीश के बयानों के अनुसार परिवादिया का पति मौके पर नहीं था तथा यह दोनों मौके पर पहुंचे थे तथा परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जिस दिन घटना हुई, उस दिन यह थाने पर गये थे, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वहीं परिवादिया का पति पी.ड.-2 राजेश प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि घटना के दिन या उसके एक-दो दिन बाद तक यह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.-3 रूपचन्द ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि चिल्ला-चोट से गांव के लोग जमा हो गये थे तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड.-7 जसवीर ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि आस-पास रहने वाले किसी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया।

19- इस प्रकार अभियोजन की ओर से मौके पर पहुंचे गवाहान के रूप में जो गवाहान परीक्षित करवाये गये, वे सभी परिवादिया के ही परिवार के सदस्य है, जिनके बयानों में परस्पर विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास को देखते हुए इस बाबत् सन्देह उत्पन्न होता है कि वास्तव में अभियुक्त चेतन द्वारा परिवादिया के साथ लज्जा भंग की प्रकृति का कोई कृत्य कारित किया गया या अभियुक्त चेतन को परिवादिया के साथ देखे जाने पर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त विरोधाभासों को देखते हुए इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन कहानी सन्देहास्पद प्रतीत होती है और अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्त चेतन उर्फ चेतराम पुत्र रमेशचन्द, उम्र 32 वर्ष, निवासी कोटड़ा दयाल, पुलिस थाना अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.) को अपराध अन्तर्गत धारा 456, 354 भा.दं.सं. एवं धारा 3-1(r)(s), 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी तुरंत प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

(2) प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, परिवादिया/ पीड़िता को पीडित प्रतिकर स्कीम के अधीन किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(कमलेश टेलर)

स्टेनो ग्रेड प्रथम

नोट: यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।